

INDIA WARMS UP AS THE HEAT IS ON

All Gas-fired Power Plants to Operate in May-June

Sec 11 of Electricity Act, 2003, has so far been invoked only for plants using imported coal

Our Bureau

New Delhi: The government on Saturday directed all gas-based power plants to operate in May and June amid an anticipated increase in demand during the summer months, invoking a key provision in the Electricity Act.

This is the first time that the government is using Section 11 of the Electricity Act, 2003 for gas-based plants. The provision, which allows the government in extraordinary circumstances to ask a power generation company to operate and maintain production in accordance with its directions, has so far been invoked only for power plants using imported coal as fuel.

India's power demand is rising and is expected to peak in the coming months with the India Meteorological Department predicting above-normal maximum temperatures over most parts of the country till June. This is also the time when India will be holding elections.

During non-solar hours, when renewable electricity generation falls, peak demand is majorly met by power plants running on coal and lignite. A significant portion of the gas-based power capacity is unutilised due to commercial reasons.

Tariffs to be Based on Energy Rates >>> 7



Photo: ANI

People walk under umbrella on a hot summer afternoon, at Vijay Chowk, in New Delhi on Saturday



FROM MAY 1 TO JUNE 30

Govt asks all gas-based power plants to be operational

ENS ECONOMIC BUREAU
NEW DELHI, APRIL 13

THE CENTRE has directed all gas-based power generating stations to operationalise their plants from May 1 to June 30 in view of rise in electricity demand due to an early onset of the heat wave this summer

As a consequence, gas-based units with combined capacity of 25 gigawatt are likely to be functional during May-June. These units are grappling with high operational costs, and the operations could result in losses. A Power Ministry statement was silent on whether tariff adjustments would be made for the

units to avoid losses.

Earlier, the Power Ministry had issued a similar fiat to imported coal based plants, asking them run at full capacity till October 15. The weather department had warned of more-than-usual instances of heat waves and above-normal maximum temperature during the current summer. While the demand for electricity has been rising at a fast pace in recent quarters, peak demand is expected to reach a record 250 GW in the summer months.

The directions to gas-based units have been issued under Section 11 of the Electricity Act, 2003, which states, "The government may specify that a gener-

HEAT WAVE: RISE IN ELECTRICITY DEMAND

■ Gas-based units with combined capacity of 25 gigawatt are likely to be functional during May-June

ating company shall, in extraordinary circumstances, operate and maintain any generating station in accordance with the directions of the government."

"The order under Section 11, which is on similar lines as done for imported-coal-based power plants, aims to optimise the

availability of power from gas-based generating stations during the ensuing high demand period," the government said.

Currently, a significant portion of gas-based installed capacity is unutilised, primarily due to commercial considerations. GRID India will inform all gas-based generating stations of the number of days for which the gas-based power is required, in advance. However, gas-based plants holding power purchase agreement with distribution licensees shall be allowed to offer their power first to the PPA holders.

"If the power offered is not utilised by any PPA holder, then it shall be offered in the

power market," the government said. "Gas-based generating stations not tied to PPAs must offer their generation in the power market."

The government has also formed a high-level committee headed by chairperson, Central Electricity Authority, to facilitate the implementation of the direction. Prior to this, the government has also announced several other measures, including expedition of new capacities, shifting of maintenance of power plants to monsoon season, and supply of surplus power to the exchanges, in its attempt to ensure adequate power supply amid rising summer demand.

WITH FE



Petregaz India commissions ₹600-cr LPG import & storage terminal at Krishnapatnam

Our Bureau

Hyderabad

Petregaz India, a subsidiary of Petredec Group, inaugurated its new LPG Import and Storage Terminal at Krishnapatnam in Andhra Pradesh.

The facility, with an investment of ₹600 crore, will enable Petregaz deliver “cost-effective and dependable solutions” to LPG marketers as well as residential, commercial, industrial and automotive customers. The Terminal is located within the Adani Krishnapatnam Private Port, 25 km from Nellore.

“Government-run oil



INFRA BOOST. The new facility will enable Petregaz deliver “cost-effective and dependable solutions” to LPG marketers

companies can utilise our Terminal’s capacity to improve LPG supplies to the hinterland, optimising logistics. This new facility will also benefit private

marketers and bottlers by improving access to LPG in an area still under-developed in terms of LPG infrastructure,” Susheel Raina, CEO, of Petregaz In-

dia, said in a release. “With the launch of the new Terminal, we look forward to working with a host of new customers and partners, large and small and supporting India’s energy transition away from heavier, higher polluting hydrocarbons to cleaner burning, affordable and accessible LPG,” he added.

Petredec is an integrated company that trades, transports and distributes LPG around the world. Petredec owns and operates a fleet of 35 LPG carriers, mainly VLGCs. Petredec has a growing presence in the LPG downstream sector with three import terminals in the Indian Ocean.



Petregaz India commissions its LPG import, storage terminal

PTI ■ CHENNAI

Petregaz India, a subsidiary of Petredec Group has commissioned its new state-of-the-art LPG Import and Storage Terminal that has been set up at an outlay of Rs 600 crore, the company said on Saturday.

The new facility located within the Adani Krishnapatnam Private Port at Krishnapatnam in neighbouring Andhra Pradesh would benefit private marketers as well as residential, commercial, industrial, and automotive consumers.

The newly commissioned facility, with an investment of Rs 600 crore, enables Petregaz to deliver cost-effective, and dependable solutions to LPG marketers, the company said in a statement.

With an annual capacity of over 1.5 million metric tonnes, the facility has excellent road connectivity to the hinterland of Tamil

Nadu, Karnataka, and Andhra Pradesh.

The terminal also has two refrigerated storage tanks, a modern jetty with no congestion and capable of berthing all types of LPG vessels, 16 truck loading bays among others.

“Government-run oil companies can utilise our terminal’s capacity to improve LPG supplies in the hinterland, optimising logistics and strengthening India’s LPG landscape,” said Petregaz India CEO Susheel Raina.

This new facility would benefit private marketers and bottlers by improving access to LPG infrastructure, Raina said.

Petredec Group is an integrated LPG company that owns and operates a modern fleet of 35 LPG carriers. It has a presence in the LPG downstream sector with three LPG import terminals in the Indian Ocean, the statement added.

Uptrend is steady

CRUDE CHECK. Roll-over the futures long

Akhil Nallamuthu

bl. research bureau

Crude oil prices saw a marginal drop over the past week. Brent crude oil futures on the Intercontinental Exchange (ICE) was down 0.8 per cent by closing at \$90.2 per barrel. Crude oil futures on the MCX lost 1.2 per cent by ending the week at ₹7,153 a barrel.

BRENT CRUDE FUTURES

(\$90.2)

Brent Crude futures, although produced negative return last week, was largely moving in a sideways price band through the week. It was held between \$89 and \$91.

That said, the broader trend remains up. We expect crude oil futures to regain traction and go up to \$96 soon. A breakout of this level can take the contract to \$100.

On the other hand, if the contract slips below \$89, it can find support at \$85. Only a breach of this will turn the near-term trend bearish. Immediately below this level, support levels are at \$84 and \$81.

MCX-CRUDE OIL (₹7,153)

Since the April futures are nearing expiry, we consider the May contract for the purpose of analysis. This has been in a sideways crawl since the beginning of last



GETTY IMAGES

week.

The May crude oil futures has been oscillating between ₹7,060 and ₹7,250. Immediately below the range bottom is a support of ₹7,000 where the 20-day moving average coincides. Subsequent support is at ₹6,730. So long as this level holds, the bias will be bullish.

Since the broader trend is bullish, we expect the contract to surpass ₹7,250 and head north towards ₹8,000, a resistance. Note that ₹7,800 is a minor hurdle.

Trade strategy: Last week, we suggested longs at ₹7,284 on April crude oil futures. Roll the longs over to the next expiry.

That is, exit April contract now at ₹7,187 and simultaneously buy May futures at ₹7,153. Add longs if the price dips to ₹7,000. Place initial stop-loss at ₹6,850. On a rally to ₹7,800, raise the stop-loss to ₹7,600. Book profits at ₹7,900.

गर्मियों में बिजली की होगी रिकॉर्ड मांग, गैस प्लांट चालू करने के निर्देश

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : सरकार ने इस बार लंबे समय तक गर्मी रहने के अनुमान और बिजली की मांग में बढ़ोतरी को देखते हुए गैस आधारित सभी बिजली उत्पादन स्टेशनों को एक मई से 30 जून तक अपने संयंत्रों को चालू रखने का निर्देश दिया है। गैस-आधारित उत्पादन स्टेशनों (जीबीएस) के एक बड़े हिस्से का वर्तमान में, मुख्यतः व्यावसायिक कारणों से प्रयोग नहीं हो रहा है। मंत्रालय ने इस गर्मी (अप्रैल से जून 2024) में 260 गीगावाट अधिकतम बिजली मांग का अनुमान लगाया है। पिछले साल सितंबर में बिजली की अधिकतम मांग 243 गीगावाट के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। बिजली मंत्रालय अनुसार, यह आदेश एक मई, 2024 से 30 जून, 2024 तक बिजली उत्पादन और आपूर्ति के लिए वैध रहेगा। इसके तहत गैस-आधारित

उत्पादन स्टेशनों से अधिकतम बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 11 के तहत सभी गैस-आधारित उत्पादन स्टेशनों को निर्देश जारी किए हैं। इनके तहत सरकार के निर्देश पर एक उत्पादन कंपनी असाधारण परिस्थितियों में किसी भी उत्पादन स्टेशन का संचालन और रखरखाव कर सकती है।

इसी तरह सरकार ने चालू वित्त वर्ष (2024-25) के दौरान देश में निजी उपयोग और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक से 17 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है। बीते वित्त वर्ष में निजी उपयोग और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक से 14.71 करोड़ टन सूखा कोयले का उत्पादन किया था, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 11.6 करोड़ टन कोयला उत्पादन से 26 प्रतिशत ज्यादा था।

गर्मी से निपटने का इंतजाम... एक मई से 30 जून तक शुरू होंगे गैस के बिजली संयंत्र

निर्बाध आपूर्ति के लिए उठाए कदम, अप्रैल से जून तक बिजली की मांग 260 गीगावाट पहुंचने का अनुमान

अमर उजाला ब्यूरो/एजेंसी

नई दिल्ली। मौसम विभाग के इस बार देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहने की भविष्यवाणी को देखते हुए केंद्र सरकार अभी से सक्रिय हो गई है। गर्मी में लोगों को बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार कई तरह के इंतजाम कर रही है। बिजली मांग में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने सभी गैस आधारित बिजली उत्पादन स्टेशनों को एक मई से 30 जून तक अपने संयंत्रों को शुरू करने का निर्देश दिया है।

गैस आधारित बिजली उत्पादन स्टेशनों (जीबीएस) के एक बड़े हिस्से का वर्तमान में मुख्यतः व्यावसायिक उद्देश्य से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। विद्युत मंत्रालय ने अप्रैल से जून में 260 गीगावाट अधिकतम बिजली मांग का अनुमान लगाया है। पिछले साल सितंबर में बिजली की अधिकतम मांग 243 गीगावाट के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। जीबीएस को चालू करने का फैसला केंद्र के गर्मियों में बिजली की मांग पूरी करने के लिए उठाए गए उपायों का हिस्सा है। मंत्रालय के अनुसार, यह आदेश एक मई से 30 जून तक बिजली उत्पादन और आपूर्ति के लिए वैध रहेगा। केंद्रीय विद्युत मंत्री आरके सिंह ने इस संदर्भ में कई बैठकें कर गर्मी के मौसम में बिजली की अधिक मांग को पूरा करने के लिए इसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

बिजली की मांग पूरी करने के लिए ये कदम भी उठाए

- बिजली संयंत्रों के नियोजित रखरखाव को मानसून सीजन में स्थानांतरित करना
- नई क्षमता वृद्धि में तेजी लाना
- तापीय विद्युत संयंत्रों की आंशिक कटावों को कम करना
- कैप्टिव उत्पादन स्टेशनों के साथ अधिशेष बिजली का उपयोग करना
- जल विद्युत उत्पादन को पीक ऑवर्स में स्थानांतरित करना
- कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों की ओर से अग्रिम योजना बनाना



अतिरिक्त बिजली को एनर्जी एक्सचेंज में बिक्री के लिए पेश करना

कोयला आधारित संयंत्रों का परिचालन 15 अक्टूबर तक

सरकार ने आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को पूरी क्षमता से चलाने का आदेश 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। टाटा व अदाणी पावर समेत करीब 16 गीगावाट की क्षमता वाले संयंत्रों का चलाने वाली कंपनियों को संचालन जारी रखने का निर्देश दिया गया है। पहले 30 जून तक संचालन की अनुमति थी।

अधिकतम बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश

मंत्रालय के मुताबिक, अधिकतम बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 11 के तहत सभी गैस आधारित उत्पादन स्टेशनों को निर्देश जारी किए हैं। इनके तहत सरकार के निर्देश पर एक उत्पादन कंपनी असाधारण परिस्थितियों में किसी भी उत्पादन स्टेशन का संचालन और रखरखाव कर सकती है।

■ जारी आदेश आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के समान ही है, जिसका उद्देश्य आने वाले महीनों में उच्च मांग अवधि के दौरान गैस आधारित उत्पादन स्टेशनों से बिजली की उपलब्धता को पूरा करना है।

ग्रिड-इंडिया देगा जीबीएस को सूचना

ग्रिड-इंडिया गैस आधारित उत्पादन स्टेशनों को पहले से सूचित करेगा कि गैस आधारित बिजली की आवश्यकता कितने दिनों के लिए है। वितरण लाइसेंसधारकों संग बिजली खरीद समझौते (पीपीए) रखने वाले गैस आधारित उत्पादन स्टेशन पहले पीपीए धारकों को अपनी बिजली की पेशकश करेंगे। यदि उपलब्ध कराई गई बिजली का उपयोग किसी पीपीए धारक की ओर से नहीं किया जाता है, तो इसे बिजली बाजार में पेश किया जाएगा।

■ पीपीए से मुक्त गैस आधारित उत्पादन स्टेशनों को भी बिजली बाजार में अपने उत्पादन की पेशकश करनी होगी। इस निर्देश के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है।



गैस आधारित संयंत्रों को चालू रखने को कहा

नई दिल्ली। सरकार ने इस बार लंबे समय तक गर्मी रहने के अनुमान के कारण बिजली की मांग में वृद्धि को देखते हुए गैस आधारित सभी बिजली उत्पादन स्टेशनों को एक मई से 30 जून तक अपने संयंत्रों को चालू रखने का निर्देश दिया है। गैस-आधारित उत्पादन स्टेशनों (जीबीएस) के एक बड़े हिस्से का वर्तमान में मुख्यतः व्यावसायिक कारणों से प्रयोग नहीं हो रहा है।

निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए सरकार तैयार

गैस आधारित सभी प्लांट को **बिजली उत्पादन** का दिया निर्देश, अप्रैल-जून में अधिक गर्मी पड़ने का अनुमान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: गर्मी में बिजली की अधिकतम मांग की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अब सभी गैस आधारित पावर प्लांट को भी बिजली उत्पादन करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश एक मई से 30 जून तक प्रभावी रहेगा। गैस आधारित पावर प्लांट से पहले बिजली मंत्रालय सभी आयातित कोयला आधारित पावर प्लांट को इस गर्मी के लिए बिजली उत्पादन का निर्देश दे चुका है। अभी देश में गैस आधारित 22 पावर प्लांट हैं, जिनका किसी न किसी राज्य की डिस्कम (बिजली वितरण कंपनी) के साथ बिजली खरीद समझौता (पीपीए) है। बताया जाता है कि इस समय कई गैस आधारित पावर प्लांट लगभग बंद पड़े हैं।

मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इस वर्ष अप्रैल से जून के दौरान सामान्य से अधिक गर्मी पड़ेगी। ऐसे में बिजली की पीक (अधिकतम) मांग में बढ़ोतरी की संभावना है। इसको देखते हुए ही बिजली मंत्रालय की तरफ से यह

- एक मई से 30 जून तक प्रभावी रहेगा बिजली मंत्रालय का निर्देश
- बिजली की बढ़ती मांग की आपूर्ति सुनिश्चित करने में जुटा मंत्रालय

22 पावर प्लांट हैं देश में गैस से चलने वाले

24 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता है इन प्लांट की



लगातार सक्रिय हैं बिजली मंत्री

देश में बिजली की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह लगातार सक्रिय हैं। वे बिजली उत्पादन कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकों कर चुके हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री ने गर्मी के दौरान बढ़ने वाली मांग के अनुरूप पर्याप्त बिजली उपलब्धता बनाए रखने पर जोर दिया।

तैयारी की जा रही है। मंत्रालय के मुताबिक, इस साल अप्रैल-जून में बिजली की पीक मांग 2.6 लाख मेगावाट तक जा सकती है, जबकि पिछले साल बिजली की पीक मांग 2.43 लाख मेगावाट तक गई थी। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल जब

2.43 लाख मेगावाट की पीक मांग थी तब पीक आपूर्ति 2.39 लाख मेगावाट की थी। पीक मांग व पीक आपूर्ति में इस अंतर की वजह से देश के कई हिस्सों में बिजली कटौती बढ़ जाती है।

सीईए की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल पीक मांग व पीक

पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहे गैस संयंत्र

वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक नहीं होने की वजह से गैस आधारित पावर प्लांट अपनी उत्पादन क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक, ग्रिड इंडिया गैस आधारित पावर प्लांट को बिजली की पीक मांग की जानकारी पहले दे देगी ताकि पावर प्लांट गैस का इंतजाम कर सकें। बिजली

वितरण कंपनियों (डिस्कम) के साथ पीपीए के तहत प्लांट बिजली की आपूर्ति करेंगे या फिर पावर एक्सचेंज में बिजली की बिक्री होगी। अभी रात के दौरान 85 प्रतिशत बिजली की मांग की पूर्ति थर्मल आधारित पावर प्लांट से की जाती है। आर्थिक गतिविधियों में लगातार तेजी से भी हर माह बिजली की खपत बढ़ रही है।

बिजली आपूर्ति बढ़ाने के लिए अन्य उपाय

- मानसून के दौरान बिजली उत्पादन संयंत्रों का रखरखाव योजनागत तरीके से किया जाए
- बिजली उत्पादन की नई क्षमता में तेजी से वृद्धि की जाए

- ताप विद्युत संयंत्रों की आंशिक कटौती में कमी लाई जाए
- आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्रों का संचालन 15 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाया गया

इसे देखते हुए ही बिजली मंत्रालय ने कोयला आधारित पावर प्लांट व गैस आधारित पावर प्लांट को बिजली उत्पादन का निर्देश दिया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बिजली की खपत में आठ प्रतिशत की वृद्धि रही है। गैस आधारित पावर प्लांट की उत्पादन क्षमता 24 गीगावाट है।



पेट्रोगैज इंडिया ने
एल.पी.जी.
आयात, भंडारण
टर्मिनल चालू
किया

चेन्नई, 13 अप्रैल (एजेंसी): पेट्रोजेक समूह की अनुषंगी कंपनी पेट्रोगैज इंडिया ने अपना नया अत्याधुनिक एल.पी.जी. आयात और भंडारण टर्मिनल चालू किया है। कंपनी ने कहा कि इसे 600 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम में अडानी कृष्णापट्टनम निजी बंदरगाह के भीतर स्थित नई इकाई से निजी विपणनकर्ताओं के साथ-साथ आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और वाहन क्षेत्र के उपभोक्ताओं को लाभ होगा। कंपनी ने बयान में कहा कि यह इकाई पेट्रोगैज को एल.पी.जी. विपणन के लिए लागत प्रभावी और भरोसेमंद समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाती है। इस इकाई की वार्षिक क्षमता 15 लाख टन से अधिक है।



पेट्रोगैज इंडिया ने एलपीजी आयात, भंडारण टर्मिनल चालू किया

चेन्नई, (भाषा)। पेट्रोजैक समूह की अनुषंगी कंपनी पेट्रोगैज इंडिया ने अपना नया अत्याधुनिक एलपीजी आयात और भंडारण टर्मिनल चालू किया है। कंपनी ने शनिवार को कहा कि इसे 600 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम में अडाणी कृष्णापट्टनम निजी बंदरगाह के भीतर स्थित नई इकाई से निजी विपणनकर्ताओं के साथ-साथ आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और वाहन क्षेत्र के उपभोक्ताओं को लाभ होगा। कंपनी ने बयान में कहा कि यह इकाई पेट्रोगैज को एलपीजी विपणन के लिए लागत प्रभावी और भरोसेमंद समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाती है। इस इकाई की वार्षिक क्षमता 15 लाख टन से अधिक है। पेट्रोगैज इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सुशील रैना ने कहा, सरकार द्वारा संचालित तेल कंपनियां हमारे टर्मिनल की क्षमता का उपयोग आंतरिक इलाकों में एलपीजी आपूर्ति में सुधार करने, लॉजिस्टिक्स को अनुकूलित करने और भारत के एलपीजी परिदृश्य को मजबूत करने के लिए कर सकती हैं।

पेट्रेगैज इंडिया ने एलपीजी आयात, भंडारण टर्मिनल चालू किया



एजेंसी ■ वेन्नई

पेट्रेडेक समूह की अनुषंगी कंपनी पेट्रेगैज इंडिया ने अपना नया अत्याधुनिक एलपीजी आयात और भंडारण टर्मिनल चालू किया है। कंपनी ने शनिवार को कहा कि इसे 600 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम में अड्डणी कृष्णापट्टनम निजी बंदरगाह के भीतर स्थित नई इकाई से निजी विपणनकर्ताओं के साथ-साथ आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और वाहन क्षेत्र के उपभोक्ताओं को

लाभ होगा। कंपनी ने बयान में कहा कि यह इकाई पेट्रेगैज को एलपीजी विपणन के लिए लागत प्रभावी और भरोसेमंद समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाती है। इस इकाई की वार्षिक क्षमता 15 लाख टन से अधिक है। पेट्रेगैज इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सुशील रैना ने कहा, सरकार द्वारा संचालित तेल कंपनियों हमारे टर्मिनल की क्षमता का उपयोग आंतरिक इलाकों में एलपीजी आपूर्ति में सुधार करने, लॉजिस्टिक्स को अनुकूलित करने और भारत के एलपीजी परिदृश्य को मजबूत करने के लिए कर सकती है।

बिजली की मांग बढ़ने से सरकार ने सभी गैस आधारित संयंत्रों को दो माह चालू रखने को कहा

एजेंसी ■ नई दिल्ली

सरकार ने इस बार लंबे समय तक गर्मी रहने के अनुमान के कारण बिजली की मांग में वृद्धि को देखते हुए गैस आधारित सभी बिजली उत्पादन स्टेशनों को एक मई से 30 जून तक अपने संयंत्रों को चालू रखने का निर्देश दिया है। गैस-आधारित उत्पादन स्टेशनों (जीबीएस) के एक बड़े हिस्से का वर्तमान में, मुख्यतः व्यावसायिक कारणों से प्रयोग नहीं हो रहा है। मंत्रालय ने इस गर्मी (अप्रैल से जून 2024) में 260 गीगावाट अधिकतम बिजली मांग का अनुमान लगाया है। पिछले साल सितंबर में बिजली की अधिकतम मांग 243 गीगावाट के उच्चतम स्तर



पर पहुंच गई थी। बिजली मंत्रालय के बयान के अनुसार, यह आदेश एक मई, 2024 से 30 जून, 2024 तक बिजली उत्पादन और आपूर्ति के लिए वैध रहेगा। बयान के अनुसार, गैस-आधारित उत्पादन स्टेशनों से अधिकतम बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने

बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 11 के तहत सभी गैस-आधारित उत्पादन स्टेशनों को निर्देश जारी किए हैं। इनके तहत सरकार के निर्देश पर एक उत्पादन कंपनी असाधारण परिस्थितियों में किसी भी उत्पादन स्टेशन का संचालन और रखरखाव कर सकती है।

सभी गैस आधारित संयंत्रों को दो माह चालू रखा जाए : केंद्र

नई दिल्ली, 13 अप्रैल (भाषा)।

सरकार ने इस बार लंबे समय तक गर्मी रहने के अनुमान के कारण बिजली की मांग में वृद्धि को देखते हुए गैस आधारित सभी बिजली उत्पादन स्टेशनों को एक मई से 30 जून तक अपने संयंत्रों को चालू रखने का निर्देश दिया है। गैस-आधारित उत्पादन स्टेशनों (जीबीएस) के एक बड़े हिस्से का वर्तमान में मुख्यतः व्यावसायिक कारणों से प्रयोग नहीं हो रहा है।

मंत्रालय ने इस गर्मी (अप्रैल से जून 2024) में 260 गीगावाट अधिकतम बिजली मांग का अनुमान लगाया है। पिछले साल सितंबर में बिजली की अधिकतम मांग 243 गीगावाट के उच्चतम स्तर पर

पहुंच गई थी। बिजली मंत्रालय के बयान के अनुसार, यह आदेश एक मई, 2024 से 30 जून, 2024 तक बिजली उत्पादन और आपूर्ति के लिए वैध रहेगा।

बयान के अनुसार, गैस-आधारित उत्पादन स्टेशनों से अधिकतम बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 11 के तहत सभी गैस-आधारित उत्पादन स्टेशनों को निर्देश जारी किए हैं। इनके तहत सरकार के निर्देश पर एक उत्पादन कंपनी असाधारण परिस्थितियों में किसी भी उत्पादन स्टेशन का संचालन और रखरखाव कर सकती है। पिछले साल सितंबर में बिजली की अधिकतम मांग 243 गीगावाट के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी।

